

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक :-प.32(बी)(1)आब/एल/2021-22/2891

दिनांक : 21.06.2021

देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं बीयर की कम्पोजिट रिटेल ऑफ दुकानों के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन एवं ई-नीलामी आमंत्रण बाबत सूचना फेज-VIII

- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्य में आबकारी बन्दोबस्त हेतु देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL) एवं बीयर की रिटेल ऑफ दुकानों (कम्पोजिट दुकानों) के अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए आबकारी नीति 2021-22 के अनुसार भारत सरकार के उपक्रम एम.एस.टी.सी. लिमिटेड के माध्यम से ई-नीलामी (ई-बोली) आयोजित की जा रही है। फेज-I में पांच दिवसीय ई-नीलामी दिनांक 03.03.2021, 04.03.2021, 05.03.2021, 09.03.2021 एवं 10.03.2021, फेज-II में दो दिवसीय ई-नीलामी दिनांक 19.03.2021 एवं 20.03.2021, फेज-III में एक दिवसीय ई-नीलामी दिनांक 24.03.2021, फेज-IV में एक दिवसीय ई-नीलामी दिनांक 01.04.2021, फेज-V में एक दिवसीय ई-नीलामी दिनांक 10.04.2021, फेज-VI में एक दिवसीय नीलामी दिनांक 17.04.2021 एवं फेज-VII में एक दिवसीय नीलामी दिनांक 18.06.2021 को सम्पन्न हो चुकी है।
- वित्त (आबकारी) विभाग के पत्रांक प.4(1)वित्त/आब/2021 दिनांक 10.06.2021 के द्वारा ई-नीलामी से शेष रही मदिरा दुकानों के लिए रिजर्व प्राईस तथा कम्पोजिट फीस में कमी की स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में कम्पोजिट मदिरा दुकानवार संशोधित न्यूनतम रिजर्व प्राईस व संशोधित कम्पोजिट फीस विभागीय वेबसाईट <https://www.rajexcise.gov.in> पर दर्शित है। दर्शाई गई संशोधित "न्यूनतम रिजर्व प्राईस" वार्षिक (12 माह के लिए) है। वास्तविक गारंटी राशि की गणना अनुज्ञापत्र हेतु जारी स्वीकृति की तिथि से आनुपातिक आधार पर की जाएगी।
- आवेदन शुल्क पूर्वानुसार "मूल न्यूनतम रिजर्व प्राईस" के अनुसार ही रहेगा।
- अमानत राशि-** आबकारी एवं मद्यसंयम नीति 2021-22 के बिन्दु संख्या 2.7 में अमानत राशि के बारे में प्रावधान किये गये हैं। परन्तु किसी भी फेज में एक बार यदि किसी कम्पोजिट मदिरा दुकान के लिए बोलीदाता द्वारा **बेकआउट** किया गया है तो ऐसी कम्पोजिट मदिरा दुकानों के लिए निम्नलिखित प्रकार से अमानत राशि निर्धारित की जाती है। शेष दुकानों के लिए अमानत राशि पूर्ववत् रहेगी।


श्रेणी	अमानत राशि (रु.)
वर्ष 2021-22 के लिए 50 लाख रुपये तक मूल न्यूनतम रिजर्व प्राईस वाली दुकान	2,00,000
वर्ष 2021-22 के लिए 50 लाख रुपये से अधिक एवं 2 करोड़ रुपये तक मूल न्यूनतम रिजर्व प्राईस वाली दुकान	3,00,000
वर्ष 2021-22 के लिए 2 करोड़ रुपये से अधिक मूल न्यूनतम रिजर्व प्राईस वाली दुकान	5,00,000

- फेज-VIII में निम्नलिखित तिथि अनुसार ई-नीलामी (ई-बोली) आमंत्रित की जाती है :-

क्र.स.	नीलामी की दिनांक	आवेदन करने की अंतिम तिथि
1	30.06.2021	29.06.2021

नीलामी का समय पूर्वानुसार प्रातः 11.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक रहेगा। नीलामी एक कार्य दिवस में न्यूनतम पांच घण्टे की होगी एवं उसके पश्चात् जब तक बोली लगती रहे तब तक 10 मिनट के अन्नत विस्तार (indefinite extension) तक जारी रहेगी।

6. आवेदन:- फेज-VIII के लिए आवेदन की प्रक्रिया दिनांक 22.06.2021 को प्रातः 11:00 बजे से प्रारम्भ है तथा निर्धारित नीलामी की दिनांक से एक दिन पूर्व को रात 11:59 पी.एम. तक चालू रहेगी।
 7. यदि आवेदक द्वारा दिनांक 12.02.2021 के पश्चात् <https://www.mstcecommerce.com> पर पंजीकरण कराया है तो उन्हें पृथक से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पूर्व में आवंटित यूजर आई.डी. व पासवर्ड के माध्यम से ई-नीलामी हेतु आवेदन कर सकते हैं। यदि पूर्व में पंजीकरण नहीं कराया है तो <https://www.mstcecommerce.com> पर जाकर निःशुल्क पंजीकरण करा सकते हैं।
 8. सफल बोलीदाता H1 के किसी कारण से बैकआउट होने पर द्वितीय उच्चतम बोलीदाता H2 को सफल बोलीदाता H1 द्वारा प्रस्तावित वार्षिक गारन्टी राशि पर उस मदिरा दुकान को लेने हेतु अवसर दिया जायेगा तथा द्वितीय उच्चतम बोलीदाता H2 द्वारा सहमति देने पर पूर्व में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार राशि जमा कराने पर उसके पक्ष में अस्थाई अनुज्ञापत्र की स्वीकृति जारी की जावेगी।
H2 द्वारा उपर्युक्त अवसर के बाद सहमती नहीं देने पर उसे उसकी स्वयं द्वारा बोली गई कीमत H2 पर मदिरा दुकान देने का अवसर दिया जावेगा। यदि इस कीमत पर भी H2 द्वारा मदिरा दुकान नहीं ली जाती है तो उसकी अमानत राशि जब्त कर H3 को क्रमशः H1 एवं H2 द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित वार्षिक गारन्टी राशि पर उस मदिरा दुकान को लेने हेतु अवसर दिया जायेगा।
तृतीय उच्चतम बोलीदाता H3 द्वारा सहमति देने पर पूर्व में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार राशि जमा कराने पर उसके पक्ष में अस्थाई अनुज्ञापत्र की स्वीकृति जारी की जावेगी।
H3 द्वारा उपर्युक्त अवसर के बाद सहमती नहीं देने पर उसे उसकी स्वयं द्वारा बोली गई कीमत H3 पर मदिरा दुकान देने का अवसर दिया जावेगा। यदि इस कीमत पर भी H3 द्वारा मदिरा दुकान नहीं ली जाती है तो उसकी अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
 9. सफल बोलीदाता द्वारा सम्पूर्ण धरोहर राशि दिनांक 05.07.2021 तक जमा करानी होगी।
 10. सफल बोलीदाता को "निर्धारित अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि" एवं "निर्धारित कम्पोजिट फीस की न्यूनतम 50 प्रतिशत राशि " दिनांक 09.07.2021 तक जमा करानी होगी।
 11. एम.एस.टी.सी. हेल्प-डेस्क पर कार्यालय समय में मार्गदर्शन लिया जा सकता है।
 12. अन्य शर्तें पूर्ववत रहेगी।
- उपर्युक्त के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश, शर्तें तथा अनुज्ञापन हेतु उपलब्ध दुकानों की निर्धारित सूची मय विवरण विभागीय वेबसाईट <https://www.rajexcise.gov.in> एवं एम.एस.टी.सी.लिमिटेड की वेबसाईट <https://www.mstcecommerce.com> पर उपलब्ध है।


 आबकारी आयुक्त,
 राजस्थान उदयपुर।